न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 24/2006

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मनजी पुत्र मकनाजी जाति पुरोहित निवासी रोडा, तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. राजरस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर 2. तहसीलदार रानीवाडा भूमिधारी राज्य सरकार

दावा खातेदारी हको की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. प्रतिवादी की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :—

दिनांक 27.7.23

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 88, 188 बाबत् खातेदारी हको की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा रोडा तहसील रानीवाडा में वर्तमान खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जो राजस्थान सरकार की भूमि है। उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 50 मीन व 52 मीन रकबा कमश 32 बीघा 1 बिस्वा व 17 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय थी, जिस पर वक्त जागीर से वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त निरन्तर रहा है। वादी के पूर्वज सावती व रामा का उक्त आराजी पर वक्त जागीर से कब्जा काश्त था। उक्त वादग्रस्त आराजी से लगती हुई वादी के पूर्वजों की अन्य दिगर आराजी भी वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित रास्ते से लगती हुई आई है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का अपने पूर्वजों सावती व रामा द्वारा किये गए बंटवाड़े में उक्त आराजी पर जागीर के समय से ही कब्जा करवाया था। वादी का कब्जा भी प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया है ओर वादी के विरूद्व धारा 91 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर वादी से समय समय पर जूर्माना भी वसूल किया जाता रहा है। वादी के पिता मकना व पदमा पुत्र सांवतीजी व सोना पुत्र रामाजी तीनों काकाई भाई थे। तथा उक्त आराजी उनके पूर्वजों की आराजी होने से वादी उक्त आराजी पर जागीर के समय से यानि 50 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। जिससे प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है, तथा वादी उक्त आराजी अपनी खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी होने से न्यायालय द्वारा सरहद मौजा रोडा के खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर कुल रकबा 3.89 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की घोषित करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की गई है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा मांगा गया जिस पर प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा जबाब दावा पेश किया गया, जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार वाद में दिये खसरा नम्बर 50 मीन स्वीकार है। व 22 मीन अस्वीकार है। क्योकि वादी द्वारा सबुतार्थ पेश किये रेकर्ड में खसरा नम्बर 22 मीन का उल्लेख नहीं है। ओर न ही खसरा नम्बर 22 मीन पर वादी का कब्जा रहा है। वाद में वादी ने उक्त खसरा नम्बर पर जागीरी पूर्व से कब्जा बताया है जो कि अस्वीकार है। क्योकि रेकर्ड में बताये अनुसार वादी का कब्जा 2015 का है जबकि आर. टी. एक्ट 1955 में लागु हुआ हो अतः वादी का जागीरी पूर्व का कब्जा नही है। वाद में वर्णित खसरान सरकारी खाते में दर्ज है। अतः जब वादी द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया तब इस जमीन से वादी को धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखल किया गया। वादी द्वारा दिनांक 05.06.2006 को वादकरण पैदा होना बताया जबकि वादी को इससे पहले जरिये नोटिस दिनांक 09.11.2004 जारी किया जाकर धारा 91 के अन्तर्गत वादी द्वारा अतिक्रमीत खसरा नम्बर 77, 78 से बेदखल किया गया। वादी द्वारा अपने वाद में खसरा नम्बर 77, 78, 76, 79 में खातेदारी आराजी घोषित करने का दाव़ा लगाया है। जबकि वादी का कब्जा वादी द्वारा पेश सबुतों(धारा 91 का नोटिस) के आधार पर खसरा संख्या 77, 78 पर होना साबित होता है। उक्त खसरा नम्बर से वादी को समय समय पर बेदखल किया गया है।

3. वादी का वाद बाद सुनवाई दिनांक 04.10.2007 को वाद खारिज किया गया।

4. वादी द्वारा वाद की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील पेश की जो 62/2007 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 29.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की गई।

5. वादी द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई थी। जो अपील/डिक्री/टीए/211/2019/जालोर अनवान मनजी बनाम राज. सरकार दर्ज रजिस्टर कि जाकर दिनांक 11.02.2021 को निर्णित हो गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैप जालोर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2014 एंव न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.10.2007 को निरस्त किया गया है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गए कि अपीलांट के वाद का निस्तारण उनकी एडवर्स पजेशन की बात नहीं भी मानी जावे तो अपीलांट को धारा 15 और 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त हो सकने बाबत परीक्षण किया जा सकता है। जिस समय हस्तगत् दावा पेश किया गया था। उस समय कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खोतदारी दिये जाने बाबत किसी प्रकार की वैधानिक प्रतिबंध नहीं था। संभवतः इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जरिये वाद खातेदारी चाही गई थी। जबकि अपीलांट तत्समय धारा 15 एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर रानीवाड़ा

करने हेतु आवेदन कर सकता था। हमारी राय में अपीलार्थी के हितो का अंतिम रूप से निर्धारण धारा 15 एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार बाबत तथ्य के परीक्षण के पश्चात ही किया जाना उचित होगा। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में इस बाबत परीक्षण नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में हम हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसका निस्तारण उक्तानुसार ऑब्जरवेशंस के क्रम में उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली प्रात हुई।

6. पत्रावली दिनांक 21.06.2021 को पून उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु समन जारी किये गए। वादी की ओर से अधिवक्ता व प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित हुए।

7. वादी की ओर से पूर्व मे पेश वादपत्र व दस्तावेज के अलावा कोई दस्तावेज पेश नहीं करना चाहते है। व प्रतिवादी राजपेरोकार की ओर पूर्व में पेश जवाब दावा के समर्थन में फॉर्म. नम्बर 3 में दस्तावेज पेश किये गए।

8. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के आधार पर निम्न तनकीयात कायम एक्सप्लेन की गई।

   1. आया वादी वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रोडा के वर्तमान खसरा नम्बर 76, 77, 78 ,79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जूमले रकबा 3.89 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है।...........जिम्मे वादी
   2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।..जिम्मे वादी
   3. आया वादी द्वारा वाद में दिया गया खसरा नम्बर 22 मीन का रेकर्ड में उल्लेख नही है। उक्त खसरा नम्बर पर वादी का कब्जा संवत 2015 का है जबकि आर.टी.एक्ट 1955 मे लागू हुआ है। वादी का जागीर पूर्व कब्जा नही होने से वाद काबिल ख़ारिज है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण
   4. आया वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी सरकारी खाते में दर्ज है तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने पर वादी को धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया है, अतः वादी को खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता। ......जिम्मे प्रतिवादीगण
   5. आया कि वादी वादग्रस्त आराजी मौजा रोड़ा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जूमले रकबा 3. 89 हैक्टेयर आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है।.................................जिम्मे वादी

9. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में मौजा रोड़ा की जमाबंदी संवत 2060–63 Exp- 1, पुराना नक्शा ट्रेस Exp- 2, नया नक्शा ट्रेस Exp- 3, मिलान क्षेत्रफल Exp- 4, धारा 91 के नोटिस Exp- 5 से 7, खसरा गिरदावरी संवत 2012–15 Exp- 8, धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रतिया Exp- 9, धारा 80 सीपीसी के नोटिस भेजने की रसीद Exp- 10 व 11, धारा 80 सीपीसी के नोटिस प्राप्ति रसीद Exp -12 व 13, जूमाने की रसीदे Exp- 14 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

18 दस्तावेज पेश कर प्रदर्श करवाये गए। तथा वादी द्वारा वादी मनजी PW- 1 ,जाईता पुत्र करनाजी पुरोहित सा. रोडा PW- 2, वेना पुत्र धनाजी जाति पूरोहित निवासी रोडा PW- 3, ओखा पुत्र कृष्ण भील निवासी रोडा PW- 4 गवाह प्रस्तुत किये गए।

10. प्रतिवादीगण की ओर अपने जवाब दावे के समर्थन में मौजा रोडा के खाता संख्या 210, 1, 211 की जमाबंदी सवंत 2076 – 2079 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 से 3 तक पेश कि गई। तथा प्रतिवादीगण द्वारा सरकारी गवाह DW-1 श्री जबरदान पटवारी व DW-2 श्री भरतकुमार पटवारी के बयान करवाये गए।

11. हमने वादी के विद्वांन अधिवक्ता व विद्वांन राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सुनी तथा पत्रावली का भली–भांति अध्ययन कर किया एवं बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या–1

वादी वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रोडा के वर्तमान खसरा नम्बर 76, 77, 78 ,79 रकबा कमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जूमले रकबा 3.89 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी के संबंध में वादी की ओर दस्तावेजी सबूत के रूप में गिरधावरी संवत 2012 से 2015 की प्रमाणित नकल प्रदर्श 8 पेश की जिसमें पदमा पुत्र सांवती, सोना पुत्र रामा धन्ना पुत्र रामा ,हना पुत्र रामा कौम पूरोहित का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 50 व 52 में कब्जा काश्त दर्ज है।

वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजी पर वादी का अपने पूर्वजो सावती एवं रामा द्वारा किये गए बंटवाड़े मे उक्त आराजी पर जागीरी के समय से ही कब्जा करवाना बताया। उस समय से वादी एवं उसके पूर्व वादी के पिता उक्त आराजी पर काबिज रहना बताया गया है। वादी के पिता मकनाजी एवं पदमा वल्द सावतीजी व सोना वल्द रामाजी तीनों काकाई भाई होना भी बताया गया है। जिसका प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा भी अपने जवाब में कई खण्डन नहीं किया गया है। तथा साक्ष्य शपथ पत्र PW- 1 में वादी मनजी द्वारा विवादीत आराजी के नवीन खसरा नम्बर 76, 77 ,78, 79 किस्म बारानी दोयम काबिल जुताई की आई हुई है जिसके पुराने खसरा नम्बर 50 मीन व 52 मीन किस्म बारानी तृतीय थी। उक्त आराजी वादी व उनके भाईयों के पूर्वजों की आराजी से लगती हुई एक ही चक में आई हुई थी। तथा उक्त आराजी जागरी से वादी पूर्वज सामती एवं रामा का कब्जा काश्त रहा एवं उसके पश्चात वादीगण का निरंतर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। एवं वादी के विरूद्व धारा 91 आर.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जूर्माना भी वसूल किया गया है। जिस पर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जिरह की गई, जिसमें वादी द्वारा बताया कि यह कहना गलत है कि उक्त भूमि पर गेरा पुरान कब्जा नही हो। यह गलत है कि उक्त भूमि पर से मुझे समय–समय पर बेदखल किया [illegible] कि उक्त भूमि पर मेरा पूराना कब्जा हो। यह कहना सही है कि मेरे खिलाफ [illegible]ल.आर. एक्ट की कार्यवाही हुई थी। परन्तु यह कहना गलत है कि मुझे [illegible] बेदखल किया हो। यह कहना सही है कि उक्त आराजी सरकारी खाते में दर्ज है।

वादी द्वारा जोईता पुत्र करणाजी व वेना पुत्र धनाजी जाति पुरोहित निवासी रोड़ा की ओर से पेश साक्ष्य शपथ पत्र PW- 2 व PW- 3 में बताया कि वादी मनजी मेरा कुटूम्बी भाई लगता है वेना पुत्र धनाजी के दादा रामाजी सांवतीजी एवं रामाजी तथा वादी के परदादा

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

होतीजी तीनों सगे भाई थे और विवादीत आराजी पर इन सभी भाईयों का कब्जा व काश्त वक्त जागीरी से चला आ रहा था ओर से सभी विवादीत आराजी पर शामलाती काश्त करते थे। व विवादीत आराजी से नजदीक रास्ते से लगती हुई मेरी आराजी ह ओर मेरे पास उकजी की आराजी है तथा मेरी आराजी व विवादीत आराजी के बीच रास्ता चलता है तथा उक्त विवादीत आराजी पर वादी के पिता मकनाजी को पारिवारिक बंटवाड़े मे गत 50 वर्ष पूर्व कब्जा करवाया था तब से उक्त आराजी पर वादी के पिता मकना एवं उसके पश्चात वादी का ही कब्जा व काश्त निरंतर चला आ रहा है। ओर मे भी उक्त आराजी पर वादी के ही कब्जे व काश्त को देखता आ रहा हूं।

वादी की ओर ओखा पुत्र कृष्णजी जाति भील निवासी रोडा का साक्ष्य शपथ पत्र PW-4 में बताया कि मै मनजी को जानता हू तथा मेरी खातेदारी आराजी इस विवादीत आराजी के पास ही लगती हुई है जो मुझे सरकार द्वारा आवंटित की गई है तथा विवादीत आराजी जागीरी के समय में भी इनके पूर्वजों की रही यह बात भी मैंने सुनी है। विवादीत आराजी के पास से होकर रास्ता चलता है जहां से हर एक व्यक्ति आता जाता रहता है। रास्ते के दूसरी तरफ मनजी के भाईयों के खेत आए हुए है उनमें जोइताजी व उकाजी का भी खेत है। मै उक्त जमीन में आता–जाता रहता हू। वादी के अलावा शेष गवाहों की जिरह राजपेरोकार द्वारा नहीं करवाई जाने से शून्य की गई।

वादी द्वारा पेश विवादीत आराजी के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 अनुसार पुराने खसरा नम्बर 50 व 52 मीन से नवीन खसरा नम्बर 74, 76,77, 78, 78 रकबा 0.63, 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर सृजित हुए है। वर्तमान में उक्त खसरान राजपेरोकार द्वारा पेश प्रदर्श 1 से 3 जमांबदी 2076 से 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 77 रकबा 1.56 खाता संख्या 210 बारानी दोयम गोचर , खसरा नम्बर 76, 78, 79 रकबा क्रमश 0.75, 0.93, 0. 49 हैक्टेयर खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। व खसरा संख्या 764/76 रकबा 0.16 राप्रावि मामाजी की ढाणी रोडा खाता संख्या 211 में दर्ज है। व वादी द्वारा प्रदर्श 2 मौजा रोडा का खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 का नक्शा ट्रेस पेश किया गया जिसमें एक ओर रास्ता दर्शाया हुआ है। साथ ही धारा 91 आर.टी. एक्ट के नोटिस प्रदर्श 5 से 7 पेश किये गए जिसमें संवत 2061 से 2062 मनजी पुत्र मुकना द्वारा खसरा नम्बर 77, 78 व चमना पुत्र मनजी द्वारा 76, 79 पर कब्जा होने पर इनके विरूद्व कार्यवाही की गई थी। जिसकी जूर्माना जमा करवाने की रसीदे प्रदर्श 14 से 18 तक पेश की गई है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर सत्यमेव जयते

प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा दो सरकारी गवाहों के बयान करवाए गए। DW-1 श्री जबरदान पुत्र सरदारदान द्वारा बयानों में बताया कि मै पटवारी पद पर दिसम्बर 2005 से सूरजवाडा में नियूक्त हू तथा रोडा मेरे हल्के में आता है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 76 से 79 सरकारी खाते में आता है। जिसके कॉलम 4 में जुताई हेतु अंकित किया गया है। जिसकी किस्म बारानी दोयम है। वादी के अधिवक्ता द्वारा जिरह कि गई जिसमें बताया कि मैने मुख्य परीक्षा में उक्त आराजी पर अन्य व्यक्तियों के बारे मे कथन किया है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। यह बात सही है कि वादी के विरूद्व 91 की कार्यवाही चली। यह बात सही है कि मनजी को कब बेदखल किया उसका रेकर्ड आज लेकर नही आया हूं। यह बात भी सही है कि खसरा गिरदावरी प्रदर्श 8 क कॉलम 40 में विवादीत खसरा नम्बर 50 व 52 एवं 51 पर पदमा पुत्र सांवती वादी के रिश्तेदारी में क्या लगते है, इसकी मुझे जानकारी नही है। यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी के समीप भील की आराजी आई हुई है। जिसका नाम कृष्ण है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाडा

बात सही है कि वादग्रस्त आराजी में काश्त होती है। तथा 2061–62 में काश्त हुई है। आज भी मौके पर काश्त की हुई है जिसका 91 की कार्यवाही वादी के खिलाफ पेश कर दी है। यह बात सही है कि वादी के विरूद्व दावा होने से 91 की कार्यवाही पेश की है।

द्वितीय गवाह भरतकुमार पुत्र नेथीराम द्वारा साक्ष्य में बताया कि मौजा रोडा के खसरा नम्बर 77 रकबा 1.56 हैक्टेयर वर्तमान मे गोचर के रूप में दर्ज है, खसरा नम्बर 764/76 रकबा 0.16 हैक्टेयर राप्रावि मामाजी की ढाणी रोड़ा के नाम से दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 76, 78, 79 की किस्म बारानी दोयम है जो खाता संख्या 1 में दर्ज है। जिरह में बताया कि यह कहना सही है कि विवादीत आराजी खसरा नम्बर 76, 78, 79 काबिल काश्त आराजी है। यह कहना सही है कि उक्त खसरा नम्बर 76, 78, 79 पर वादी का कब्जा है। उक्त आराजी वादी की पूश्तैनी कब्जा सुद है, तो उसकी मुझे जानकारी नही है।

वादी के वादपत्र प्रस्तुत साक्ष्यों व दस्तावेजों के अनुसार वादी का व वादी के पूर्वजों का विवादीत आराजी पर पूर्व से कब्जा होने के कथन किये जिसके को साबित करने हेतु वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज भी पेश किये गए है। तथा प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब में भी रेकर्ड में बताये अनुसार वादी का कब्जा सवंत 2015 का होना बताया है व साथ ही वादी का खसरा नम्बर 77 व 78 पर कब्जा होना भी स्वीकार कर धारा 91 के तहत समय–समय पर बेदखल किया जाना बताया गया है। राजपेरोकार की ओर से साक्ष्य में सरकारी गवाह श्री जबरदान द्वारा बताया कि सवंत 2061–2062 में काश्त होना बताया गया व श्री भरतकुमार द्वारा अपने साक्ष्य में विवादीत आराजी खसरा नम्बर 76, 78 व 79 काबिल काश्त आराजी होना व उक्त आराजी खसरा नम्बर 76, 78 व 79 पर वर्तमान में वादी का कब्जा होना बताया गया है। तथा राजपेरोकार द्वारा वादी व इनके पूर्वजो को विवादीत आराजी से कभी बेदखल किया हो इस संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गए। विवादीत आराजी में से राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर खसरा नम्बर 77 रकबा 1.56 हैक्टेयर गोचर व खसरा नम्बर 764/76 रकबा 0.16 हैक्टेयर राप्रावि मामाजी की ढाणी के रूप में वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिस पर राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी का वर्तमान में कब्जा नहीं पाया जाता है। तथा शेष विवादीत आराजी खसरा नम्बर 76, 78, 79 पर वादी व वादी के पूर्वजों का सवंत 2015 से से कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी होने से तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित प्रतित होने से तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

आया कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व विवादीत आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होने के संबंध में तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार विवादीत आराजी पर तनकी संख्या 2 भी आंशिक रूप [illegible] पक्ष में निर्णत कि जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3

वाद में दिया गया खसरा नम्बर 22 [illegible] उल्लेख नहीं है। उक्त खसरा नम्बर पर वादी का कब्जा सवंत 2015 के [illegible] जबकि आर.टी.एक्ट 1955 में लागु हुआ। वादी का जागीर पूर्व कब्जा नहीं होने से वाद काबिल खारिज होने के संबंध में वादी द्वारा दिनांक 17.05.2007 को आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश कर

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

विवादीत आराजी खसरा नम्बर 52 मीन के बजाय 22 मीन गलती से टंकन किया जाना बताया जिसको बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 दिनांक 02.08.2007 को स्वीकार किया गया जिसमें 22 मीन के स्थान पर वादपत्र में 52 मीन किया गया। तथा उक्त खसरा के संबंध में वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। वादी द्वारा खसरा संख्या 52 मीन जरिये प्रार्थना पत्र वाद में संशोधन किय जा चूका है। अतः उक्त तनकी का कोई औचित्य नहीं है।

तनकी संख्या 4

वादी वादग्रस्त आराजी सरकारी खाते में दर्ज है तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने पर वादी को धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया है। वादी को खातेदारी अधिकारी नहीं देने के संबंध में प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश किया गया जिससे वादी को विवादीत आराजी से बेदखल किया गया· प्रतीत हो तथा। वादी के कब्जे के संबंध में तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचन किया जा चूका है। तथा खसरा संख्या 76, 78, 79 को छोड़कर शेष खसरा नम्बर 77 जो गोचर व खसरा संख्या 764/76 राप्रावि मामाजी की ढाणी रोडा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिस पर वादी का वर्तमान में कब्जा काश्त होना साबित नहीं होता है। अतः खसरा नम्बर 77 व 764/76 में वादी को खातेदारी अधिकारी दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर
सत्यमेव जयते

तनकी संख्या 5

वादी वादग्रस्त आराजी मौजा रोडा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 76, 77, 78, 79 रकबा क्रमश 0.91, 1.56, 0.93, 0.49 हैक्टेयर जूमले रकबा 3.89 हैक्टेयर की आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत प्राप्त करने के वादी अधिकारी होने के संबंध में वादी द्वारा पेश खसरा गिरदावरी सवंत 2012 से 2015 में वादी के रिश्तेदार पदमा वल्द सांवती, सोना वल्द रामा, धन्ना वल्द रामा कौम पूरोहित का कब्जा काश्त रहा है। मकना एवं पदमा के पिता सगे भाई एवं एक ही दादा के पौत्र एवं वंशज है। वादी के काकाई भाईयों के खेतों के संबंधी विवाद हो, ऐसा कोई ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। वादी की आराजी वाद में प्रस्तुत खसरा नम्बरान के कब्जे काश्त के संबंध में धारा 15 व 19 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विश्लेषण किया गया। वादी व इनके पूर्वजो का कब्जा जागीरी के पहले का होना जाहिर किया जा रहा है। परन्तु वादी ग्रामीण काश्तकार व अनपढ़ होने से जागीरी के समय से छुटे आराजी के खसरों के खातेदारी प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर अवधी भी निर्धारित की गई [illegible] ले सका। परन्तु कब्जा भूमिधारी तहसीलदार अपने पक्ष के गवाहों में [illegible] वादी का बताया गया है। एवं वादी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही जरूर [illegible] की गई। लेकिन भौतिक रूप से वादी को बेदखल किया हो ऐसा [illegible] द्वारा पेश नहीं किया गया है। जिसके आधार पर वादी [illegible] काश्त विवादित आराजी पर मौजूद है। ऐसी स्थिती में वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसगंत है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

12. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

-: आदेश :-

13. अतः वादी का वाद उपरोक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा रोड़ा पटवार हल्का सूरजवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 76, 78, 79 रकबा क्रमश 0.75, 0.93, 0.49 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आराजी वादी की कब्जा व काश्त की आराजी होने से खातेदारी हको की घोषणा की जाती है। वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद जारी की जाती है। पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्त आशय की डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा भिजवायी जाए।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रानीवाड़ा
रानीवाड़ा जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 27.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से सरे इजलास सूनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रानीवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
मनजी पुत्र मकनाजी जाति पुरोहित निवासी रोडा, तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर 2. तहसीलदार रानीवाडा भूमिधारी राज्य सरकार

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 24/2006

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, व प्रतिवादी राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा रोड़ा पटवार हल्का सूरजवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 76, 78, 79 रकबा क्रमश 0.75, 0.93, 0.49 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आराजी वादी की कब्जा व काश्त की आराजी होने से खातेदारी हको की घोषणा की जाती है। वादी के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी किसी प्रकार से इनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करेगे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूद जारी की जाती है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27.7.23 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रानीवाडा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बावत इजराय हुक्मनामा	0	00	बावत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.04 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested